रसद विविध प्रकरण संख्या : 455/2024
उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक देसूरी बनाम छोगाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

रसद विविध प्रकरण संख्या : 455/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/587

प्रार्थी :	बनाम	अप्रार्थी :
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली		1. छोगाराम कुमावत पुत्र डूंगाराम निवासी उंचला बास, काना, देसूरी (हाल मैनेजर) 2. देवाराम पुत्र डूंगाराम निवासी उंचला बास, काना, देसूरी (हाल प्रोपराईटर) फर्म :– मैसर्स भाग्य लक्ष्मी फास्ट फूड, चारभुजा रोड़, मैन चौराहा, देसूरी

उपस्थिति :–

1. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल परिहार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

–:निर्णयः–

दिनांकः 28.03.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म **मैसर्स भाग्य लक्ष्मी फास्ट फूड, चारभुजा रोड़, मैन चौराहा, देसूरी** वक्त निरीक्षण दिनांक 27.09.2024 को मौके पर अवैध 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) (01 एचपी व 03 इण्डेन) कम्पनी मय भट्टी को राज्यसात करने हेतु पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार उपस्थित हुए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वक्त निरीक्षण दिनांक 27.09.2024 को श्री जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी एवं श्रीमती कृष्णा कंवर भाटी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफीलिंग एवं घरेलु गैस सिलेण्डेरों का अवैध रुप से व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान चारभुजा रोड़, मैन चौराहा, देसूरी स्थित एक फर्म मैसर्स भाग्य लक्ष्मी फास्ट फुड पर पहूंचे। मौके पर छोगाराम कुमावत पुत्र डूंगाराम उपस्थित मिले, जिन्होंने खुद को मैनेजर होना बताया। मौके पर रुबरु मौतबिरान हरीश मीणा पुत्र दूदाराम मीणा, निवासी ग्राम डरी, तहसील पाली की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच करने पर **04 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) (01 एचपी व 03 इण्डेन)** कम्पनी के पाये गये। मौके पर भट्टी से फास्ट फूड बनाये जा रहे थे। मौके पर आवश्यक दस्तावेज विधिक दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये तथा उक्त संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।

इस प्रकार गैस सिलेण्डर को अवैध रुप से भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोगय रुकवाया जाकर मौके पर मैसर्स मंगला इण्डेन गैस देसूरी के प्रतिनिधि द्वारा हैंगिक स्केल से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

रसद विविध प्रकरण संख्या : 455/2024

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक देसूरी बनाम छोगाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

क्र. स.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	खाली सिलेण्डर का वनज	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी	शुद्ध गैस का वनज	सिलेण्डर का एस.आर. क्रमांक
1	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	17.900	15.700	2.200	0950899 S
2	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	16.000	16.000	0.000	815891 S
3	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	28.700	16.000	12.700	326764 T
4	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	27.600	15.600	12.000	322541 H
एक भट्टी							

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रुप से व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध संग्रहण किये जाने के फलस्वरुप मौके पर **04 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) (01 एचपी व 03 इण्डेन)** कम्पनी मय एक भट्टी को जब्त कर वजह सबूत कब्जे लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु राहुल कुमार पुत्र रतनलाल, निवासी आकाशगंगा कॉलोनी, सादडी हाल मैनेजर मंगला इण्डेन गैस, देसूरी को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया उपरोक्त कार्यवाही की मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गयें। इस प्रकार छोगाराम कुमावत ने गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा **04 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) (01 एचपी व 03 इण्डेन)** को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। काबिल अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस सुनने का निवेदन किया। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं, अतएव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेज यथा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2022, फर्द सुपुर्दगीनामा इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि उनके मुवक्किल द्वारा जब्तशुदा **04 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) (01 एचपी व 03 इण्डेन)** का उपयोग नहीं किया जा रहा था, अपितु घरेलु सिलेण्डर गृह उपयोग हेतु घर ले जाने हेतु रखे हुए थे। अप्रार्थी का रोजी रोटी हेतु फास्ट फुड का व्यवसाय है जिस पर व्यवसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग होता है। यह भी, कि प्रार्थीगण द्वारा दबाव डालकर मौका फर्द पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाए गए है अप्रार्थी पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है एवं इस कारण अप्रयुक्त घरेलु गैस सिलेण्डर अधिनियम व नियमों की जानकारी के अभाव में प्रार्थना पत्र में अंकित स्थल पर अस्थायी रुप से संग्रहित कर रखे थे।

पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन तथा बहस में उठाए गए तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के सलंग्न मौका फ़र्द दिनांक 27.09.2024 में अप्रार्थीगण द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने का अंकन है एवं साक्ष्य के रुप में कार्यवाही का फोटोग्राफ भी सलंग्न है जिस में उक्त प्रतिष्ठान एवं घरेलु सिलेण्डर स्पष्ट दृष्टिगत हो रहे हैं। मौक़ा फ़र्द पर अप्रार्थी संख्या एक श्री छोगाराम एवं स्वतन्त्र गवाह श्री हरीश मीणा पुत्र श्री दूदाराम मीणा के हस्ताक्षर भी है। यद्यपि, पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज़ाहिर होता है कि मौक़ा फ़र्द पर

CamScanner

रसद विविध प्रकरण संख्या : 455/2024

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक देसूरी बनाम छोगाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

अप्रार्थी संख्या दो श्री देवाराम के हस्ताक्षर नहीं है एव न ही स्वतन्त्र गवाह श्री हरीश मीणा का पृथक से कोई बयान पर्चा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ऐसा कोई फोटोग्राफ प्रमाण स्वरुप प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त जब्तशुदा भट्टी का उपयोग घरेलु गैस सिलेण्डर पर ही किया जा रहा था। यद्यपि काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत यथा दस्तावेज, फोटोग्राफ इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जो बहस में उठाए गए उनके इस तर्क की पुष्टि कर सके कि अप्रार्थीगण द्वारा ज़ब्तशुदा चार घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था।

उपरोक्त वजुहातों के आधार पर न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थी द्वारा भरे हुए एवं खाली गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से भण्डारण एवं संग्रहण किया जाना पाया जाता है। अतः अप्रार्थी द्वारा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबंध 3(1)(c) की अवहेलना किए जाने से उपरोक्त जब्तशुदा घरेलु व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर कुल संख्या 04 जिनका विवरण प्रार्थना पत्र में दर्ज तालिका अनुसार है, को राजसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते है। ज़ब्तशुदा भट्टी को पर्याप्त साक्ष्य सबूतों के अभाव में व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयुक्त होना प्रमाणित नहीं होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए अवमुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा **मैसर्स भाग्य लक्ष्मी फास्ट फूड, चारभुजा रोड़, मैन चौराहा, देसूरी** में प्रार्थना पत्र में अंकित सारणी में वर्णणानुसार घरेलु गैस सिलण्डरों का अवैध संग्रहण/भण्डारण एवं अवैध व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तशुदा 04 गैस सिलेण्डर **(14.2 कि.ग्रा.) (01 एचपी व 03 इण्डेन)** को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 A(a) के प्रावधानान्तर्गत तथा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना के कारण उक्त सभी 04 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि जब्तशुदा उपरोक्त 04 गैस सिलेण्डरों को मय् गैस सुपुर्ददार गैस एजेन्सी से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र F.8618/खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F.04(23)/खा.ले./नीति/6A/89 दिनांक 16.11.1999 के अनुरुप ही जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली
दिनांक :

क्रमांक/रसद वि.प्र.स./455/2024/2025
प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. जिला रसद अधिकारी, पाली
2. प्रवर्तन निरीक्षक, पाली
3. छोगाराम कुमावत पुत्र डूंगाराम निवासी उंचला बास, काना, देसूरी।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

CamScanner